

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (सिविल, रक्षा और रेलवे) के लिए पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:-

पारिवारिक पेंशनभोगी को किसी भी नजदीकी आईडीबीआई बैंक शाखा में जाना होगा और निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

**1) पति/पत्नी के साथ सेवारत पेंशनभोगी पेंशनर के संयुक्त खाते के मामले में:**

- ए) सेवारत पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी) पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए शाखा प्रमुख की संस्तुति (अनुबंध-I)
- सी) पारिवारिक पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाण पत्र (अनुबंध-II)
- डी) पारिवारिक पेंशनभोगी का पैन कार्ड
- ई) पारिवारिक पेंशनभोगी का आधार कार्ड
- एफ़) नामांकन फॉर्म ए (अनुबंध- III)
- जी) पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश)
- एच) पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा वचनबद्धता का नमूना पत्र (अनुबंध- IV)

**2). सेवारत पेंशनभोगी के व्यक्तिगत खाते के मामले में (असंयुक्त)**

- ए) सेवारत पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी) पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए शाखा प्रमुख की संस्तुति (अनुबंध-I)
- सी) पारिवारिक पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाण पत्र (अनुबंध-II)
- डी) पारिवारिक पेंशनभोगी का पैन कार्ड
- ई) पारिवारिक पेंशनभोगी का आधार कार्ड
- एफ़) फॉर्म 14 (अनुबंध-V)
- जी) विवरणात्मक विशेषताएं
- एच) नामांकन फॉर्म ए (अनुबंध- III)
- आई) पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश)
- जे) पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा वचनबद्धता का नमूना पत्र (अनुबंध- IV)
- के) पारिवारिक पेंशनभोगी का निरस्त चेक/ खाता विवरण/ पास बूक

- 3) अपेक्षित दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, सेवा पेंशन को पारिवारिक पेंशन में परिवर्तन करने का कार्य सीपीपीसी द्वारा किया जाता है तथा पारिवारिक पेंशनभोगी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पावती भेजी जाती है.

- 4) अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किया जाता है.

**नोट :**

1. पारिवारिक पेंशनभोगियों के केवाईसी (आधार और पैन) का विवरण पीपीओ के समान होना चाहिए.

अनुबंध-1

पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए शाखा प्रमुख की संस्तुति

प्रति सोल आईडी: शाखा का नाम: डाक पता	प्रति केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, जीबीजी परिचालन, 6 वीं मंजिल, एनेक्स बिल्डिंग, आईडीबीआई बैंक लि., सेक्टर 11, प्लॉट 39-41, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र-400614.
--	---

पारिवारिक पेंशन शुरू करने की संस्तुति

पीपीओ संख्या	
पेंशन प्राधिकरण/ विभाग जहां से मृतक पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त कर रहा था	
पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि	
क्या नियमित पेंशन बंद कर दी गई है	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो कब से? (माह और वर्ष)
पारिवारिक पेंशनभोगी (यों) के नाम	
क्या आईडीबीआई बैंक में पारिवारिक पेंशनभोगी (पति/पत्नी) का पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता है?	हाँ/नहीं
	यदि हाँ, तो संयुक्त खाता संख्या उल्लिखित करें.  यदि नहीं, तो आईडीबीआई बैंक में एक बचत खाता खोलें और खाता संख्या उल्लिखित करें.

संलग्न आवेदन के अनुसार पारिवारिक पेंशन शुरू करने की एतद्वारा संस्तुति की जाती है. यह प्रमाणित किया जाता है कि शाखा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से संतुष्ट है और यह पारिवारिक पेंशन मामलों के शीघ्र निपटान के परिपत्र और दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है.

दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं शाखा प्रमुख के नाम का मुहर तथा

शाखा प्रमुख का ईआईएन:

अनुबंध -II

पेंशनभोगी द्वारा जमा किए जानेवाले वार्षिक प्रमाण पत्र

ए. जीवन प्रमाण पत्र

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पेंशनभोगी श्री/श्रीमती/ सुश्री..... पेंशन भुगतान आदेश संख्या ..... के धारक को देखा है, और वह आज की तारीख में जीवित हैं.

1. पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का वर्तमान पता  
.....
2. टेलीफोने/ मोबाइल नंबर .....
3. ईमेल आईडी: .....

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर हस्ताक्षर एवं पदनाम(शाखा प्रमुख/ प्रबंधक या उससे ऊपर)  
नाम .....

स्थान ..... दिनांक.....

---

बी. गैर-रोजगार/ पुनः रोजगार प्रमाण पत्र

1. मैं घोषित करता/ ती हूँ कि मुझे ऐसे कार्यालयों में नियोजित/पुनर्नियोजित किया गया है, जो .....हिस्सा है/ द्वारा वित्तपोषित हैं और मुझे नवंबर 20 को समाप्त वर्ष के दौरान या उक्त वर्ष के माह के दौरान निम्नलिखित मासिक दरों पर परिलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं.

(ए) भुगतान.....

(बी) विशेष भुगतान .....

(सी) अन्य भत्ते/शुल्क/ मानदेय .....

(इसमें डी.ए., ए.डी. ए. शामिल हैं, इन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए)

इसके अतिरिक्त मेरे पुनर्नियुक्ति के आदेशों में यह निर्दिष्ट नहीं है कि पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान मेरी पेंशन स्थगित रहेगी.

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने भारत में कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है.

या

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है तथा सरकार द्वारा संलग्न किसी भी शर्त का, यदि कोई हो, उल्लंघन नहीं किया गया है.

या

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत में वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार कर लिया है (नोट : यह घोषणा सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए देना आवश्यक है.)

2. मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने भारत से बाहर की सरकार/ अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अधीन कोई रोजगार स्वीकार नहीं किया है.

या

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात भारत से बाहर की सरकार/ अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अधीन रोजगार स्वीकार किया है तथा सरकार द्वारा संलग्न किसी भी शर्त का, उल्लंघन नहीं किया गया है.

या

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मैंने केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत से बाहर की सरकार/ अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, के अधीन रोजगार स्वीकार किया है.

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

स्थान: .....

.....

तारीख: .....

.....

पेंशनभोगी का नाम

पी. पी. ओ. सं.:

सी. पुनर्विवाह/ विवाह का प्रमाणपत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ/ पिछले छह महीनों के दौरान मेरा पुनर्विवाह नहीं हुआ है और जैसे ही मैं विवाह करूँगा/ पुनर्विवाह करूँगा, बैंक को सूचित करूँगा.

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

स्थान: .....

पेंशनभोगी का नाम

.....

तारीख: .....

पी. पी. ओ. सं.:

.....

मैं अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है.

किसी जिम्मेदार अधिकारी या प्रसिद्ध व्यक्ति के

हस्ताक्षर

स्थान: .....

नाम .....

तारीख: .....

पदनाम .....

डी. पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

नाम: .....

बैंक खाता सं. ....

पत्राचार के लिए पता: .....

टेलीफोन नं. ....

मोबाइल नं. ....

आधार नं. ....

ईमेल आईडी: .....

पैन: .....

पति/ पत्नी का नाम: .....

पति/ पत्नी की जन्मतिथि: .....

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

.....

.....

पावती

पेंशनभोगी/ श्री/श्रीमती/सुश्री ..... के पारिवारिक पेंशनभोगी पेंशन भुगतान आदेश सं.  
..... के धारक का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है.

तारीख:

हस्ताक्षर: .....

नाम .....

प्राप्तकर्ता बैंक की मुहर/

शाखा/ बैंक का पीडीए पता/ पीडीए टेल



अनुबंध-III  
नामांकन फॉर्म ए

(तीन प्रतियां प्रस्तुत की जाए)

फॉर्म ए

(पेंशन बकाया और संराशीकरण के लिए सामान्य नामांकन फॉर्म)

[पेंशन बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 का नियम 5 और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 का नियम 7 देखें]

मैं, ..... एतद्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामित करता हूं तथा मेरी मृत्यु की स्थिति में, नीचे निर्दिष्ट सीमा तक, निम्नलिखित के अधीन राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूं:

- पेंशन बकाया
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमों, 1981 के अंतर्गत देय पेंशन का संराशीकृत मूल्य

नामिती का नाम, जन्मतिथि (डीओबी) और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ संबंध	प्रत्येक को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा	यदि नामिती अवयस्क है, अवयस्क की ओर से प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता	यदि नामिती कॉलम (1) के अंतर्गत कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के पहले वैकल्पिक नामिती का नाम, जन्मतिथि और पता	कर्मचारी/पेंशनभोगी के साथ संबंध	यदि कॉलम (5) के अंतर्गत वैकल्पिक नामिती अवयस्क है तो राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पता	ऐसी आकस्मिता जिसके घटित होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

ये नामांकन मेरे द्वारा पहले किए गए किसी भी नामांकन का अधिक्रमण करेंगे.

स्थान:

सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

तारीख:

संपर्क.नं:

**नोट 1:** लाभों को पूर्ण रूप से हटा दें जिसके लिए नामांकन करने का उद्देश्य नहीं है. उपरोक्त लाभ (i) और (ii) के लिए नामित करने हेतु अलग-अलग व्यक्तियों के लिए इस नामांकन प्रपत्र की अलग-अलग प्रतियों का प्रयोग किया जाय.

**नोट 2:** सरकारी कर्मचारी अंतिम प्रविष्टि के नीचे रिक्त स्थान पर रेखाएं खींचेगा ताकि उनके हस्ताक्षर के बाद किसी अन्य का नाम जुड़ न पाए. नामिति (यों)/ वैकल्पिक नामिती(यों) के शेयर पूरी मिलकर राशि को कवर कर सकेंगे.

अनुबंध-IV

पेंशनभोगी द्वारा लिए जाने वाले शपथपत्र का नमूना पत्र

तारीख

.....

प्रति

शाखा प्रबंधक

.....(बैंक)

..... (शाखा एवं पता)

प्रिय महोदय,

आपके कार्यालय के माध्यम से पी.पी.ओ सं. .... के अंतर्गत पेंशन का भुगतान.

मेरे अनुरोध पर, आपने मुझे देय पेंशन का भुगतान हर महीने आपके पास धारित मेरे खाते में जमा करने के लिए सहमति पर विचार किया है. मैं अधोहस्ताक्षरी किसी भी राशि को वापस करने या पूरा करने के लिए सहमत हूं और वचन देता हूं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ अथवा किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि जो मेरे खाते में उस राशि से अधिक जमा होगी जिसका मैं हकदार हूँ या रहूँगा. इसके अतिरिक्त मैं एतद्वारा स्वयं को, मेरे वारिस, उत्तराधिकारी, निष्पादकों और प्रशासकों को इस योजना के तहत मेरे खाते में मेरी पेंशन जमा करने से बैंक द्वारा उठाए गए किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने तथा बैंक को तुरंत भुगतान करने हेतु बाध्य करने का वचन देता हूँ और सहमत हूँ और साथ ही बैंक को मेरे उक्त खाते या बैंक के कब्जे में मेरे किसी अन्य खाते/ जमा से डेबिट करके देय राशि वसूलने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से प्राधिकृत करता हूँ.

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

साक्षी:

(1) हस्ताक्षर:

(2) हस्ताक्षर:

नाम:

नाम:

पता:

पता:

तारीख:

तारीख:

अनुबंध-V

दावेदार की वर्णनात्मक विशेषताएं

------(दावेदार का नाम) के संबंध में लंबाई और व्यक्तिगत पहचान चिन्ह संबंधी विवरण

1. लंबाई: फीट: इंच:

1. (दावेदार का नाम) के संबंध में पहचान चिन्ह :-

1.

2.

(दावेदार का नाम) के संबंध में नमूना हस्ताक्षर

1.

2.

3.

दावेदार का हस्ताक्षर (नाम):

स्थान:

दिनांक:

दावेदार की विवरणात्मक विशेषताएं

----- (दावेदार का नाम) के संबंध में लंबाई और पहचान चिन्ह का विवरण

II. लंबाई: फीट: इंच:

I. पहचान चिन्ह :-

- 1.
- 2.

I. (दावेदार का नाम) के संबंध में अंगूठे और उंगली का निशान

बायां हाथ		दायां हाथ		
अंगूठा		अंगूठा		
पहली उंगली		पहली उंगली		
दूसरी उंगली		दूसरी उंगली		
तीसरी उंगली		तीसरी उंगली		
चौथी उंगली		चौथी उंगली		

नाम (दावेदार का नाम) के हस्ताक्षर :

दिनांक:

स्थान:

(वैयक्तिक)(दावेदार) का नवीनतम फोटोग्राफ

नाम:

दावेदार के हस्ताक्षर

(नाम)

स्थान:

तारीख:.....



दावेदार का नमूना हस्ताक्षर/ विवरणात्मक विशेषताएं

(दावेदार के नाम) के संबंध में नमूना हस्ताक्षर

1

2

3

स्थान:

तारीख:

1. व्यक्तिगत जानकारी:

1. पेंशनभोगी का नाम
2. पदनाम
3. सेवानिवृति की तारीख
4. पेंशनभोगी का पता

केवल पारिवारिक पेंशनभोगी:-

5. मृतक के साथ संबंध:
6. पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम:

2. बैंक के विवरण:

7. बचत/चालू खाता सं.
8. बैंक का नाम :
9. शाखा का नाम :

विधि और/या मानदंड और/या विनियमों द्वारा बैंक को अधिकार प्रदत्त हैं और कर्तव्य लगाए गए हैं.

शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर (बैंक खाते का मोहर)

### संलग्नक:

- (i) आवेदक के दो नमूने हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान\* विधिवत प्रमाणित (दो अलग-अलग कागजों पर प्रस्तुत करें)
- (ii) आवेदक के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ, विधिवत प्रमाणित
- (iii) राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदक की वर्णनात्मक विशेषताएं की प्रतियां जिसमें लंबाई और हाथ, चेहरे आदि पर व्यक्तिगत चिन्ह, यदि कोई हो, दर्शाया गया हो. (कम से कम दो विशिष्ट चिह्न निर्दिष्ट करें)
- (iv) आयु प्रमाण-पत्र(त्रों), दो प्रमाणित प्रतियाँ जिसमें बच्चे की जन्म तिथि दर्शाई गई हो. यह प्रमाणपत्र स्थानीय पंचायत या मान्यता प्राप्त पाठशाला, जहां से बच्चा पढ़ रहा है के प्रमुख से होना चाहिए. (ये जानकारी उस बच्चे या बच्चों के संबंध में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिनके जन्म तिथि के विवरण प्रधान कार्यालय में उपलब्धन हो.)
- (v) फॉर्म 3 में परिवार की जानकारी.
- (vi) पेंशन संवितरणकर्ता बैंक द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वापसी के लिए वचन-पत्र
- (vii) जो अभिभावक अपने नाम का हस्ताक्षर करने में पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं, के मामले में अभिभावक के विधिवत प्रमाणित नमूने हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे और उंगलियों के निशान
- (viii) पिछले पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के पीपीओ की प्रति
- (ix) अभिभावक/नामिती के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की दो प्रमाणित प्रतियाँ
- (x) राजपत्रित सरकारी सेवक द्वारा विधिवत प्रमाणित अभिभावक/नामिती की वर्णनात्मक विशेषताएं की प्रतियां जिसमें लंबाई और हाथ, चेहरे आदि पर व्यक्तिगत चिन्ह, यदि कोई हो, दर्शाया गया हो. (कम से कम दो विशिष्ट चिह्न निर्दिष्ट करें)
- (xi) अभिभावक के स्थायी पते का प्रमाण
- (xii) दिवंगत कर्मचारी या पिछले पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाणपत्र यदि लागू हो.
- (xiii) पिछले पारिवारिक पेंशनभोगी की अपात्रता संबंधी दस्तावेजों की प्रति यदि लागू हो.

नोट: शहर, गाँव या परगना जहां आवेदक निवास करता है वहाँ के दो राजपत्रित सरकारी अधिकारियों या दो या अधिक सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए..